



Reg. No. 756-13.02.1960

उद्यम प्रेरणा

6 दशकों से MSME की सेवा में समर्पित



वर्ष: 18

अंक: 02

भोपाल

प्रकाशन दिनांक: 25.01.2021

पाक्षिक पोस्टिंग दि. 15 एवं 30 प्रत्येक माह

पृष्ठ-08

(परिपत्र क्र. 03-05)

परिपत्र क्रमांक: 03

मध्यप्रदेश शासन

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

मंत्रालय, भोपाल

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 13/01/2021

क्रमांक 51/1312/2021/अ-तेहत्तर :: मध्यप्रदेश के सूक्ष्म/लघु/मध्यम उद्योगों को उनके श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिये "सूक्ष्म/लघु/मध्यम उद्योगों राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना-- की कंडिका 6 चयन प्रक्रिया के तहत पुरस्कार चयन हेतु राज्य स्तरीय पुरस्कार समिति का निम्नानुसार गठन किया जाता है:-

1.	उद्योग आयुक्त	अध्यक्ष
2.	प्रबंध संचालक, म.प्र. लघु उद्योग निगम के प्रतिनिधि	सदस्य
3.	निदेशक, एमएसएमई-डीआई, इन्दौर	सदस्य
4.	आवेदन करने वाली इकाईयों के क्षेत्र के परिक्षेत्रीय उद्योग अधिकारी	सदस्य
5.	अध्यक्ष, म.प्र. लघु उद्योग संघ	अशासकीय सदस्य
6.	अध्यक्ष, लघु उद्योग भारती, मध्यप्रदेश	अशासकीय सदस्य
7.	अध्यक्ष, एसोसिएशन ऑफ इण्डस्ट्रीज मध्यप्रदेश	अशासकीय सदस्य
8.	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के क्षेत्रीय अधिकारी	सदस्य
9.	संयुक्त/उप संचालक, (एमएसएमई) उद्योग संचालनालय	सदस्य सचिव

2/ राज्य स्तरीय पुरस्कार समिति की बैठक उद्योग संचालनालय द्वारा आयोजित की जायेगी।

3/ राज्य स्तरीय पुरस्कार समिति द्वारा पुरस्कार हेतु चयनित इकाईयों को पुरस्कार देने के लिये अपनी अनुशंसा शासन को प्रस्तुत की जावेगी तथा शासन के अनुमोदन के पश्चात इकाईयों को पुरस्कार दिये जाने की घोषणा की जायेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(शशि भूषण सिंह)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग

M.P. Small Scale Industries Organization

E-2/30, Arera Colony, Bhopal - 462016 (M.P.)

अध्यक्ष: अरुण जैन



महासचिव : विपिन कुमार जैन

परिपत्र क्रमांक: 04

GST के तहत त्रैमासिक रिटर्न मासिक भुगतान (QRMP) योजना

1. त्रैमासिक रिटर्न मासिक भुगतान योजना (QRMP) सरकार द्वारा अधिसूचित एक योजना है जो पांच (5) करोड़ रुपये तक का कुल कारोबार वाले एक पंजीकृत व्यक्ति को कर के मासिक भुगतान के साथ त्रैमासिक आधार पर रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए करने की अनुमति देती है। CBIC ने परिपत्र सं. 20/01/08/2020—जीएसटी दिनांक 10 नवंबर 2020 ने QRMP योजना से संबंधित विभिन्न मुद्दों को स्पष्ट किया।
2. प्रभावी तिथि— इस योजना को 01 जनवरी 2021 से लागू किया जाएगा।
3. योजना के लिए पात्रता रु. एक पंजीकृत व्यक्ति जिसे FORM GSTR-3B में रिटर्न प्रस्तुत करना आवश्यक है, और जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ रुपये तक का कुल कारोबार है, QRMP योजना के लिए पात्र है।
 - 3.1 पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए कुल वार्षिक टर्नओवर की गणना सामान्य पोर्टल में करदाता द्वारा कर अवधि के लिए रिटर्न में प्रस्तुत विवरण में की जाएगी, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष में कर अवधि के लिए की गई है।
 - 3.2 यदि चालू वित्त वर्ष के लिए कुल वार्षिक टर्नओवर की गणना सामान्य पोर्टल में करदाता द्वारा कर अवधि के लिए रिटर्न में प्रस्तुत विवरण में की जाएगी, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष में कर अवधि के लिए की गई है।
4. **क्यूआरएमपी योजना के लिए व्यायाम विकल्प:** एक पंजीकृत व्यक्ति तिमाही के पहले महीने के अंतिम दिन के पहले महीने के दूसरे दिन से किसी भी तिमाही के लिए विकल्प चुन सकता है।
 - 4.1 उदाहरण: "जुलाई से सितम्बर" की तिमाही के लिए योजना का लाभ उठाने/चयन करने का इच्छुक व्यक्ति 1 से 31 जुलाई के दौरान अपने विकल्प का उपयोग कर सकता है।
 - 4.2 इसी तरह, लोगों को, जो किसी भी तिमाही के दौरान पंजीकरण प्राप्त किया है या पंजीकृत व्यक्ति किसी भी तिमाही के दौरान संरचना योजना के तहत कर का भुगतान करने से ऑफ्ट आउट करने के लिए किसी भी समय चुनते करने में सक्षम हो जाएगा 1 के बीच सेंट 31 मई सेंट सितम्बर तिमाही के लिए जुलाई के लिए जुलाई (पहले दिन तिमाही के पहले महीने के अंतिम दिन से पहले तिमाही के दूसरे महीने)
 - 4.3 इस विकल्प का उपयोग करने के लिए, पंजीकृत व्यक्ति को अंतिम रिटर्न प्रस्तुत करना होगा, क्योंकि इस तहरह के विकल्प का उपयोग करने की तारीख के कारण।
 - 4.4 यदि वह 27 जुलाई को तिमाही (जुलाई से सितम्बर) के लिए अपने विकल्प का उपयोग कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में, उसे जून के लिए रिटर्न को प्रस्तुत करना होगा जो 22/24 जुलाई को होने वाला था।
 - 4.5 पंजीकृत व्यक्तियों को हर तिमाही विकल्प का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। जहां इस तरह के विकल्प का प्रयोग एक बार किया गया है, वे भविष्य के कर अवधि के लिए चयनित विकल्प के अनुसार रिटर्न प्रस्तुत करना जारी रखेंगे, जब तक कि वे उक्त विकल्प को संशोधित नहीं करते हैं।
5. **योजना की पहली तिमाही के लिए डिफॉल्ट प्रवासन:** योजना लागू होगा प्रभावी 01 जनवरी 2021 करदाताओं की सुविधा के लिए, यह निर्णय लिया गया है, जिसने मार्च 2021 जनवरी 2021 यानी पहली तिमाही के लिए, पंजीकृत व्यक्तियों ऊपर कारोबार कर रहा 5 करोड़ रुपये में और अक्टूबर 2020 के लिए FORM GSTR-3B में 30 नवंबर 2020 तक रिटर्न की सुविधा प्रदान की है, नीचे बताए अनुसार सामान्य पोर्टल पर माइग्रेट किया जाएगा:

क्र. कुल कारोबार करने वाले पंजीकृत व्यक्ति की श्रेणी	डिफॉल्ट विकल्प (माइग्रेटेड)
(ए) चालू वित्त वर्ष में मासिक आधार पर 1.5 करोड़ रुपये और सुसज्जित FORM GSTR-1	मासिक रिटर्न
(ख) चालू वित्त वर्ष में तिमाही आधार पर 1.5 करोड़ रुपये और सुसज्जित FORM GSTR-1	त्रैमासिक रिटर्न

(सी) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 1.5 करोड़ रुपये से अधिक और

5 करोड़ रुपये तक

त्रैमासिक रिटर्न

5.1 करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे समय पर अक्टूबर 2020 का रिटर्न प्रस्तुत करें ताकि डिफॉल्ट प्रवास के योग्य हो सकें

5.2 करदाता जिन्होंने 30 नवंबर 2020 को या इससे पहले अक्टूबर 2020 के लिए अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है, उन्हें इस योजना के लिए माइग्रेट नहीं किया जाएगा। एक बार FORM GSTR-3B के रूप में वे योजना के लिए विकल्प चुन सकेंगे क्योंकि अभ्यास करने की तिथि के बाद विकल्प दाखिल किया गया है।

6. रिटर्न पीरियड्स फाइल करने के डिफॉल्ट विकल्प से बदलें पंजीकृत व्यक्तियों की सुविधा के लिए डिफॉल्ट विकल्प प्रदान किया गया है। ऐसे पंजीकृत व्यक्ति उपरोक्त विकल्प को बदलने के लिए स्वतंत्र हैं जैसे कि वे चाहते हैं। योजना की पहली तिमाही के लिए, परिवर्तन 5 दिसंबर, 2020 से 31 जनवरी, 2021 तक किए जा सकते हैं।

6.1 उदाहरण: 5 करोड़ तक के टर्नओवर वाले करदाता, जिसका जनवरी-मार्च 2021 तिमाही के लिए पोर्टल पर डिफॉल्ट विकल्प मासिक रिटर्न फाइल करने की इच्छा के रूप में माइग्रेट किया गया है। वह 5 दिसंबर 2020 से 31 जनवरी 2021 तक मासिक रूप में विकल्प बदल सकता है।

6.2 टर्नओवर पर स्कीम से ऑफ्ट-आउट 5 करोड़ रुपये से अधिक है: यदि चालू वित्त वर्ष में किसी भी तिमाही के दौरान कुल कारोबार 5 करोड़ रुपये से अधिक है, तो पंजीकृत व्यक्ति अगली तिमाही से इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा। ऐसा पंजीकृत व्यक्ति, जिसका कुल कारोबार चालू वित्त वर्ष में एक तिमाही के दौरान 5 करोड़ रुपये को पार कर जाता है, वह मासिक आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक रूप से, सामान्य पोर्टल पर, सफल तिमाही से रिटर्न प्रस्तुत करने का विकल्प चुन लेगा।

7. जीएसटीआईएन वाइज विकल्प उपलब्ध है:- क्यूआरएमपी योजना का लाभ उठाने का विकल्प जीएसटीआईएन वार है और इसलिए, अलग-अलग व्यक्तियों (एक ही पैन पर विभिन्न जीएसटीआईएन) के पास एक या एक से अधिक जीएसटीआईन के लिए क्यूआरएमपी योजना का लाभ उठाने का विकल्प है। दूसरे शब्दों में, उस पैन के लिए कुछ GSTIN QRMP स्कीम का विकल्प चुन सकते हैं और शेष GSTIN स्कीम का विकल्प नहीं चुन सकते हैं।

8. इनवॉयस फर्निशिंग का सुविधा: एक पंजीकृत व्यक्ति के पास पहले पंजीकृत व्यक्ति को पहले और दूसरे महीने की आपूर्ति के विवरणों को प्रस्तुत करने के लिए इनवॉयस फर्निशिंग सुविधा (IFF) होगी, क्योंकि वह अगले महीने के पहले दिन के बीच आवश्यक समझ सकता है। अगले महीने के 13वें दिन तक। पिछले महीने के लिए IFF प्रस्तुत करने की यह सुविधा महीने के 13वें के बाद उपलब्ध नहीं होगी।

8.2 बाहरी आपूर्ति का विवरण, हालांकि, प्रत्येक माह में पचास लाख रुपये के मूल्य से अधिक नहीं होगा।

8.4 एक सुगत उपाय के रूप में, पंजीकृत व्यक्तियों के लिए इनवॉयस का निरंतर अपलोड भी प्रदान किया जाएगा, जिसमें वे आईएफएफ में इनवॉइस को महीने के पहले दिन से लेकर अगले महीने के 13वें दिन तक बचा सकते हैं।

8.5 उदाहरण के लिए, एक पंजीकृत व्यक्ति जिसने इस योजना का लाभ उठाया है, वह तिमाही के पहले महीने में जारी किए गए कुल दस चालानों में से दो चालानों की घोषणा करना चाहता है, क्योंकि उन दो चालानों द्वारा कवर की गई आपूर्ति के प्राप्तकर्ता आईटीसी का लाभ उठाने की इच्छा रखते हैं। इन दोनों चालानों का विवरण IFF का उपयोग कर सुसज्जित किया जा सकता है। शेष 8 चालानों का विवरण उक्त तिमाही के फार्म GSTR-1 में प्रस्तुत किया जाएगा।

8.6 IFF में प्रस्तुत दो चालान तिमाही के पहले महीने के संबंधित प्राप्तकर्ता के FORM GSTR-2B में परिलक्षित होंगे

और FORM GSTR-1 में सुसज्जित शेष आठ चालान FORM GSTR-2 में दिखाई देंगे, जो अंतिम के संबंधित प्राप्तकर्ता को दिखाई देंगे। तिमाही का महीना।

8.7 उक्त सुविधा, जुलाई के महीने के लिए, 1 अगस्त से 13 अगस्त तक उपलब्ध रहेगी। इसी तरह, अगस्त महीने के लिए, उक्त सुविधा 1 सितम्बर से 13 सितम्बर तक उपलब्ध होगी।

8.8 सुविधा अनिवार्य नहीं है और केवल एक वैकल्पिक सुविधा है QRMP योजना के तहत पंजीकृत व्यक्ति के लिए उपलब्ध कराया।

8.9 पहले दो महीनों में उक्त सुविधा का उपयोग कर सुसज्जित किए गए चालानों का विवरण फिर से FORM GSTR-1 में प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, एक तिमाही के दौरान ऐसे पंजीकृत व्यक्ति द्वारा किए गए बाहरी आपूर्ति के विवरण में पहले दो महीनों के लिए IFF का उपयोग करते हुए चालान का विवरण और तिमाही के लिए FORM GSTR-1 में सुसज्जित चालान का विवरण शामिल होगा।

8.10 उनके विकल्प पर, एक पंजीकृत व्यक्ति IFF का उपयो किए बिना केवल FORM GSTR-1 में एक तिमाही के दौरान किए गए बाहरी आपूर्ति के विवरण प्रस्तुत करना चुन सकता है।

9. कर का मासिक भुगतान: क्यूआरएमपी योजना के तहत पंजीकृत व्यक्ति को तिमाही के पहले दो महीनों में मासिक आधार पर कर का भुगतान करना होगा।

9.1 फॉर्म "पीएमटी 06" का उपयोग इस उद्देश्य के लिए किया जाना आवश्यक है।

9.2 कर भुगतान की नियत तारीख अगले महीने की 25वीं तारीख है।

9.3 जबकि चालान जनरेट करे तो करदाताओं "त्रैमासिक करदाता के लिए मासिक भुगतान" पैदा करने के लिए एक कारण के रूप का चयन करना चाहिए चालान।

10. कर के मासिक भुगतान की गणना करने की विधि करदाता पहले दो महीनों के दौरान कर के मासिक भुगतान के लिए नीचे दिए गए निम्नलिखित दो विकल्पों में से किसी एक का लाभ उठाने के लिए स्वतंत्र है :-

10.1 **फिक्स्ड सम मेथड:-** एक करदाता जिसने पूर्ववर्ती तिमाही में त्रैमासिक रिटर्न की सुविधा दी है, वह पूर्ववर्ती तिमाही में नकद में चुकाए गए कर का 35 प्रतिशत भुगतान करने का विकल्प चुन सकता है।

10.1.1 **उदहरण:** अंतिम रिटर्न मार्च 2021 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए तिमाही आधार पर थी। अंतिम तिमाही में भुगतान की गई राशि के आधार पर बाद की तिमाही में प्रत्येक दो महीने में भुगतान की जाने वाली राशि निम्नानुसार होगी।

तिमाही में नकद भुगतान किया गया
(जनवरी-मार्च 2021)

सीजीएसटी	100
एसजीएसटी	100
IGST	1000
उपकर	200

अप्रैल और मई 2021 से प्रत्येक महीने में
कर का भुगतान किया जाना आवश्यक है

सीजीएसटी	35
एसजीएसटी	35
IGST	350
उपकर	70

यदि पंजीकृत व्यक्ति ने मासिक रिटर्न भरा है, तो वह पूर्ववर्ती तिमाही के अंतिम महीने में भुगतान किए गए कर के बराबर राशि का भुगतान करने का विकल्प चुन सकता है। अंतिम रिटर्न मार्च 2021 की कर अवधि के लिए मासिक था।

तिमाही में नकद भुगतान किया गया
(जनवरी - मार्च 2021)

सीजीएसटी	50
----------	----

अप्रैल और मई 2021 से प्रत्येक महीने में
कर का भुगतान किया जाना आवश्यक है

सीजीएसटी	50
----------	----

एसजीएसटी	50	एसजीएसटी	50
IGST	80	IGST	80
उपकर	0	उपकर	0

10.1.2 उपरोक्त भुगतानों के लिए FORM GST PMT-06 में प्री-भरा चालान बनाने के लिए पोर्टल पर एक सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

10.1.3 **Non - मासिक कर भुगतान की सुविधा के लिए उपलब्धता:** इस विधि के माध्यम से मासिक कर भुगतान उन पंजीकृत लोगों को, जो एक पूरा कर अवधि में इस तरह के महीने से ठीक पहले के बदले प्रस्तुत नहीं किया है के लिए उपलब्ध नहीं होगा।

10.1.4 एक पूरी कर अवधि का मतलब एक कर अवधि है जिसमें व्यक्ति कर अवधि के पहले दिन से कर अवधि के अंतिम दिन तक पंजीकृत होता है।

10.2 स्व-मूल्यांकन विधि पंजीकृत व्यक्ति आवक और जावक आपूर्ति पर कर देयता और उपलब्ध इनपुट क्रेडिट इनपुट टैक्स क्रेडिट पर विचार करके कर का भुगतान कर सकता है।

10.2.1 महीने के लिए उपलब्ध आईटीसी के पता लगाने की सुविधा के लिए, हर महीने के लिए एक ऑटो-ड्रूपट इनपुट टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट फार्म GSTR-2B में उपलब्ध कराया गया है।

11. **गैर-मासिक कर जमा की आवश्यकता:** यदि इलेक्ट्रॉनिक कैश बेजर और/या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट बेजर में शेष कर देय हो तो (पहले महीने के लिए या दूसरे महीने में संचयी बकाया के लिए) पर्याप्त है या जहां कोई है Nil कर देयता, पंजीकृत व्यक्ति उक्त महीनों के लिए कोई राशि जमा नहीं कर सकता है।

12. **धनवापसी का दावा:** कर के भुगतान के लिए एक क्वार्टर के पहले दो महीनों के लिए जमा की गई राशि के संबंध में धनवापसी के दावे को उक्त तिमाही के लिए FORM GSTR-3B में वापसी के बाद अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा, इस जमा का उपयोग करदाता द्वारा तिमाही के लिए रिटर्न दाखिल करने तक किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है।

13. **FORM GSTR-3B की त्रैमासिक फाइलिंग:** पंजीकृत व्यक्तियों को प्रत्येक तिमाही के लिए FORM GSTR-3B प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जो महीने के 22वें या 24वें दिन से पहले इस तरह की तिमाही में सफल होगा।

13.1 में फार्म GSTR-3B वे तिमाही के दौरान किए गए आपूर्ति घोषणा करेगी, आईटीसी तिमाही के दौरान लाभ उठाया, और अन्य सभी विवरण उसमें प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

13.2 पहले दो महीनों में पंजीकृत व्यक्ति द्वारा जमा की गई राशि को उस तिमाही के FORM GSTR-3B में दी गई देयता की भरपाई के लिए पूरी तरह से डेबिट किया जाएगा।

13.3 हालांकि, उस तिमाही के FORM GSTR-3B के दाखिल होने के बाद बची किसी भी राशि को या तो रिफंड के रूप में दावा किया जा सकता है या बाद की तिमाहियों में किसी अन्य उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

13.4 में तिमाही के पहले दो महीनों के दौरान किसी भी ऐसे व्यक्ति की पंजीकरण रद्द करने के मामले में, वह अभी भी प्रासंगिक कर अवधि के लिए फार्म GSTR-3B में एक वापसी प्रस्तुत करना आवश्यक है।

14 **ब्याज की लागू होने की स्थिति:** देय तारीख तक ऑटो-परिकलित निश्चित राशि जमा करने के तरीके से तिमाही दो महीनों में देय कर के मामले में कोई ब्याज देय नहीं होगा।

14.1 ऐसे मामले में कर का भुगतान फार्म जीएसटी पीएमटी-06 में की गई प्रणाली में जमा की गई राशि का भुगतान नियत तारीख तक नहीं किया गया है, लागू दर पर देय ब्याज जीटीएम पीटीटी-06 के लिए देय तिथि से देय होगा। इस तरह से भुगतान की।

14.2 FORM GSTR-3B में त्रैमासिक रिटर्न देते समय, यदि यह पाया जाता है कि तिमाही के पहले दो महीनों में से किसी में या दोनों, कर/प्राप्त की गई आपूर्ति पर उपलब्ध क्रेडिट की कर देयता भुगतान की गई राशि से अधिक है। चालान, तब कोई ब्याज देय नहीं होगा, बशर्ते कि व्यक्ति जमा प्रणाली को पहले दो महीनों के लिए गणना की गई राशि और देय तिथि तक तिमाही के FORM GSTR-3B में तिमाही के लिए पूरी देयता का निर्वहन करे।

14.3 इसके अलावा, तिमाही के लिए FORM GSTR-3B के नियत तारीख से परे सुसज्जित होने पर, ITC के कर देयता नेट के लिए CGST अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों के अनुसार ब्याज देय होगा।

चित्रण 1-

एक पंजीकृत व्यक्ति, जिसने योजना का विकल्प चुना है ने कुल रु. अक्टूबर से दिसम्बर की पिछली तिमाही में कर देयता के रूप में 100/- नकद वह तय राशि पद्धति के तहत कर का भुगतान करने का विरोध करता है। इसलिए, वह रु. 35/- प्रत्येक 25 फरवरी और 25 मार्च को तिमाही के पहले दो महीनों के लिए कर देनदारी का निर्वहन करने के लिए। जनवरी और फरवरी। तिमाही के लिए उनकी वापसी में, यह पाया गया है कि, जनवरी के लिए बाहरी और आवक आपूर्ति के आधार पर देयता रुपये थी। 40/- और फरवरी के लिए यह रु. 42/- इन दो महीनों में कर की कम राशि (क्रमशः रु. 5 और रु. 7) के लिए कोई ब्याज देय नहीं होगा, बशर्ते कि वह तिमाही के लिए अपने पूरे दायित्व का निर्वहन तिमाही के FORM GSTR-3B में करें।

चित्रण 2-

एक पंजीकृत व्यक्ति, जिसने योजना का विकल्प चुना है, ने कुल रु. अक्टूबर से दिसम्बर की पिछली तिमाही में कर देयता के रूप में 100/- नकद वह तय राशि पद्धति के तहत कर का भुगतान करने का विरोध करता है। इसलिए, वह रु. 35/- प्रत्येक 25 फरवरी और 25 मार्च को तिमाही के पहले दो महीनों के लिए कर देनदारी का निर्वहन करने के लिए। जनवरी और फरवरी।

तिमाही के लिए उनकी वापसी में, यह पाया गया है कि उपलब्ध ऋण के तिमाही शुद्ध के लिए कुल देयता थी।

रुपये. 125 लेकिन वह 30 अप्रैल को रिटर्न फाइल करता है. ब्याज लागू दर पर रु. में देय होगा। 55 रु. 125 रु. तिमाही GSTR 3B और 30 अप्रैल की नियत तिथि के बीच की अवधि के लिए 70 (M1 और M2 में कैश लेजर में जमा).

14.4 स्व-मूल्यांकन पद्धति के लिए चयन करके कर का भुगतान करने वाले एक पंजीकृत व्यक्ति के लिए, कर या किसी भी भाग (आईटीसी का शुद्ध) के लिए सीजीएसटी अधिनियम की धारा 50 के प्रावधान के अनुसार ब्याज राशि देय होगी जो कि प्रीपेड है। तिमाही के पहले दो महीनों के लिए देय तिथि से परे।

14.5 ब्याज देय, यदि कोई हो, का भुगतान फार्म जीएसटीआर-3बी के माध्यम से किया जाएगा।

15. लेट फीस की प्रयोज्यता- लेट फीस सीजीएसटी अधिनियम की धारा 47 के प्रावधान के अनुसार वापसी/बाहरी आपूर्ति के विवरण प्रस्तुत करने में देरी के लिए लागू है। योजना के अनुसार, CGST अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (1) में प्रोविजो के तहत रिटर्न प्रस्तुत करने की आवश्यकता त्रैमासिक है। तदनुसार एक विलम्ब शुल्क उक्त तिमाही रिटर्न/बाहरी आपूर्ति के विवरण को प्रस्तुत करने में देरी के लिए लागू होगा।

15.1 यह स्पष्ट किया गया है कि तिमाही के पहले दो महीनों में कर के भुगतान में देरी के लिए कोई विलम्ब शुल्क लागू नहीं है।

* * * * *

परिपत्र क्रमांक: 05

FAQ Advisory on Quarterly Return with Monthly Payment scheme**A. Eligibility and Opting for the scheme:**

Advisory on Quarterly Return with Monthly Payment Scheme is issued by GSTN and contains FAQs as given below:

1. What is “Quarterly Returns with Monthly Payment (QRMP)” Scheme?

QRMP scheme is for small taxpayers to file their FORM GSTR-1 and FORM GSTR-SB returns on quarterly basis while paying their tax dues monthly through a simple challan.

2. Is this scheme available to everyone?

No. This scheme is available only to those who are liable to file FORM GSTR-1 and FORM GSTR-SB returns.

3. Am I eligible for the scheme?

All taxpayers whose aggregate turnover is up to Rs. 5 Crore in the current and preceding financial year and have filed their last due GSTR-3B return are eligible for this scheme.

4. How do I avail this scheme?

Taxpayers can opt in (avail) the scheme and opt out (exit) if they don't wish to continue quarterly filing by navigating to Login-> Services -> Returns -> Opt-in for quarterly return

5. Can I avail the scheme at any time?

You can opt in or opt out of the scheme as follows:-

Quarter	Between
Q1 (April – May – June)	1st February to 30th April
Q2 (July – August – September)	1st May to 31st July
Q3 (October – November – December)	1st August to 31st October
Q4 (January – February – March)	1st November to 31st January

6. Do I need to enter the scheme every quarter to avail its benefit?

No, once opted in, the scheme will continue for you, unless you decide to exit or opt out.

7. My aggregate turnover is less than Rs. 5 Cr, but still the system does not allow me to opt in for the scheme?

Please check if you have filed your last FORM GSTR-SB. For more details on the turnover, please visit here. If you want to get your turnover updated, please lodge your grievance at <https://selfservice.gstsystem.in/>

8. I have multiple GSTTNs on the same PAN in different States, can I opt in for different frequency in different States?

Yes, you may opt in for different frequencies (monthly or quarterly) in different States.

9. From when is the scheme available?

The scheme will be made available from 1st January 2020 onwards. You may opt in anytime after 5th December 2020.

B. System defaulting**10. I have received an email, saying I have been defaulted to the scheme. What should I do?**

If your aggregate turnover for FY 2019-20 is up to Rs. 5 Crore and you have filed your FORM GSTR-3B for the month of October 2020 by 30th November 2020, you may be defaulted to the scheme by the system. If you wish to remain in the scheme, then you may not take any action and file your returns by the due date in April 2021. However, if you wish to exit the scheme you may do so by 31st January 2021.

11. I am eligible for the scheme but was not defaulted to the scheme. What should I do?

You may enter the scheme by navigating Login-> Services -> Returns -> Opt-in for quarterly return. For detailed steps, you may click here.

C. Actions required for first two months of the quarter**12. Do I have to do anything in the first two months of the quarter?**

Yes, you have to generate a payment challan for the first two months of the quarter. You have an option to

either self-assess your liability or pay 35% of cash liability paid in the FORM GSTR-3B for the last quarter (in case of where GSTR 3B was filed quarterly) or 100% of the cash liability paid in the FORM GSTR-3B for the last month (in case where FORM GSTR-3B was filed monthly) through a challan. However, you do not have to take any action in the following cases:-

a) Aggregate balance in your electronic cash ledger and electronic credit ledger is greater than liability for that month.

b) You have No or Nil liability for that month.

13. By when do I have to deposit such amount?

Generally, Challan is to be generated by the 25th of the next month. For example, for the month of January challan has to be generated by 25th of February. However, there may be instances where such date may be extended by the Government.

14. What is self-assessment of liability?

Self-assessment of liability means that you calculate your taxes for a month by ascertaining outward supplies made during the month and your available input tax credit. A challan may be generated for the amount of self-assessed liability. Please note that while generating this challan, please choose -> "Monthly Payment for Quarterly Returns" as the reason for making such payment.

15. How do I view my challan history?

Challan history can be found after logging to GST Portal and navigating to Services ->Pyaments->Challan History.

16. If I have deposited cash in the first month, can the same be accounted for adequate cash in the cash ledger for the second month?

It may be noted that cash deposited in the first month against your liability for the first month cannot be considered for balance for your electronic cash ledger for the second month. The action to be taken in the second month should be considered based on the balance in cash ledger after the deposit made for the first month.

D. Details on viewing GSTR-2A and 2B

17. I am a quarterly taxpayer; will I see my GSTR-2A and 2B also quarterly now?

GSTR-2A and GSTR-2B will be continued to be made available every month. A GSTR-2B's quarterly view will also be made available. This will be made available under the return tab for the third month of the quarter. However, there will be no quarterly view of GSTR-2A.

E. Actions required for the last month of the quarter

18. Do I have to do anything in the last month of the quarter?

Yes, you have to file your FORM GSTR-1 and FORM GSTR-SB for the quarter. For example, for the quarter Jan-Mar, you have to file your FORM GSTR-1 and FORM GSTR-SB for the month of March.

19. What will be the last date for filing of FORM GSTR-SB and FORM GSTR-1 for the quarter?

Generally, the last date of filing of GSTR-1 for the quarter will be 13th of the month succeeding such quarter. For example, for the quarter of Jan-March, the last date of GSTR-1 would be 13th of April. Taxpayers are advised to check updated notifications etc. for change in dates.

20. What about late fee on delayed filing of FORM GSTR-SB and GSTR-1 for the quarter?

Late fee is applicable to delayed filing of such returns.

F. Miscellaneous

21. Can quarterly filers file Nil return through SMS?

Yes, Quarterly taxpayers may send the following SMS to 14409 to file a Nil GSTR-1 or Nil FORM GSTR-3B

NIL 3B GSTIN MMYYYY

NIL R1 GSTIN MMYYYY

MM should be the last month of the quarter for which the return is being filed. For example, for the month of June 2020, taxpayer shall send NIL 3B XXXXXXXXXXXXXXXX 062020 to 14409

22. Will refund be allowed for quarterly filers?

Yes, quarterly taxpayers may apply for refunds after filing their FORM GSTR-SB for the quarter.

* * * * *

Soruce: KASSIA, Bangaluru

Vol.: 60 December 2020

Ref.: MPSSIO/74/2020-21/

MPSSIO की ओर से संपादक विपिन कुमार जैन द्वारा मोना इन्टरप्राइजेस, न्यू मार्केट, भोपाल से मुद्रित, विपिन कुमार जैन द्वारा प्रकाशित तथा ई-2/30, महावीर नगर, अरेरा कालोनी, भोपाल 462016 में प्रकाशित Ph.: 0755-2467714, 4917785 email: mpssio@rediffmail.com, Website: www.mplplus.co.in